भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 477**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**राष्ट्रीय महिला आयोग में रिक्त पद**

**477. श्री हुसैन दलवईः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के पद के अलावा सभी पांच सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उपर्युक्त पदों पर पिछली भर्ती, पदस्थापित व्यक्तियों द्वारा पद खाली करने की तारीख और इन पदों पर अब तक हुई नियुक्तियों की तारीख का पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) समय पर नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और इसे सरल एवं कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सदस्यों के पद खाली रहने के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का निर्वहन कौन करता है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने इन रिक्तियों के राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों पर प्रभाव का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : जी नहीं ।

(ख) : राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा-3 के अनुसार आयोग का गठन एक अध्‍यक्ष तथा पांच सदस्‍यों से मिलकर हुआ है । वर्तमान में राष्‍ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्‍ल्‍यू) में अध्‍यक्ष तथा तीन सदस्‍य पदासीन हैं । पदवार विवरण संलग्‍न है **(अनुलग्‍नक)** ।

(ग) से (ड) : राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा-7 के अनुसार आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्‍नगत या अविधिमान्‍य नहीं होगी । प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्‍ट्रीय महिला आयोग में सदस्‍यों की समय पर नियुक्ति करने हेतु समेकित प्रयास किए गए हैं । सदस्यों की रिक्ति के दौरान, जनादेश एनसीडब्ल्यू (प्रक्रिया) विनियमन, 2005 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष, मौजूदा सदस्यों और सदस्य सचिव द्वारा किया जाता है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-।**

**राष्ट्रीय महिला आयोग में रिक्त पद विषय पर श्री हुसैन दलवई द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 477 के उत्‍तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण**

वर्तमान भरे हुए पद

|  |  |
| --- | --- |
| **नाम एवं पदनाम** | **कार्यभार ग्रहण करने की तिथि** |
| श्रीमती रेखा शर्मा, अध्‍यक्ष | 07.08.2018 |
| श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्‍य | 19.11.2018 |
| श्रीमती सोसो शैयज़ा, सदस्‍य | 19.11.2018 |
| श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्‍य | 26.11.2018 |

**विगत भरे हुए पद**

|  |  |
| --- | --- |
| **नाम एवं पदनाम** | **कार्यभार ग्रहण करने/मुक्‍त होने की तिथि** |
| श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्‍यक्ष | 29.09.2014 - 28.09.2017 |
| श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्‍य **\*** | 06.08.2015 – 05.08.2018 |
| श्रीमती सुषमा साहू, सदस्‍य | 17.08.2015 – 16.08.2018 |
| श्रीमती आलोक रावत, सदस्‍य, | 20.10.2015 (अपराह्न) – 20.10.2018 |

**\*** तत्‍कालीन अध्‍यक्ष, राष्‍ट्रीय महिला आयोग द्वारा कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 28.09.2017 से पद का कार्यभार छोड़ने के बाद श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्‍य, राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 29.09.2017 से दिनांक 05.08.2018 तक अध्‍यक्ष, राष्‍ट्रीय महिला आयोग के पद का अतिरिक्‍त कार्यभार संभाला ।